|  |
| --- |
| **उद्देश्य**  उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्मांण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में उसकी अन्तेष्टि एवं अंतिम संस्कार को सुगमतापूर्वक सम्पन्न किए जाने हेतु तत्कालिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। |

**पात्रता**

* पंजीकृत मृतक निर्माण श्रमिक के आश्रित।
* यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नही होगी।

**हितलाभ**

1. रु० 25000⁄– अंतिम संस्कार व्यय के रूप में।

**स्पष्टीकरण**

लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रथमतः सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसी भी स्थिति हो), को द्वितीयतः लाभार्थी श्रमिक के व्यस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता/पिता और अंततः लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा।

**आवेदन प्रक्रिया**

1. निर्माण श्रमिक की मृत्यु के उपरांत ऊपर बताये गये स्पष्टीकरण में वर्णित वरीयता क्रम में अनुसार उसके परिवार के किसी सदस्य की ओर से उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु संबंधित मृत्यु के 01 वर्ष के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कार्यालय मे तहसीलदार को अथवा संबंधित विकास खण्ड कार्यालय में खण्ड विकास अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। जिसकी एक प्रति पावती स्वरूप आवेदक को प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्राप्त की तिथि अंकित करते हुए उपलब्ध करवाई जायेगी।
2. आवेदन पत्र के साथ मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति तथा निर्गत पहचान पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र खो जाने की दशा में बोर्ड का कोई सदस्य इस आशय का प्रमाण पत्र दे सकता है कि मृत निर्माण श्रमिक का पहचान पत्र वास्तव में नहीं मिल रहा है।